बद्री पिता भैरु लाल तेली
निवासी – हुरडा

बनाम लीला पत्नि सॉवर लाल तेली
निवासी– हुरडा

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रेवे. एक्ट

प्रकरण संख्या– 58/2018

09.07.2018

वकील प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के द्वारा अपने खातेदारी आराजीयात की आराजी नं.– 3258 , 3268 , 3267 , 3262 की भूमि की पत्थरगढी करानें हेतु , प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था , जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2018 को आराजी नं. 3258, 3268, 3267 आराजी नम्बर के पत्थरगढी करनें के आदेश पारित कर दिये गये थे । सहवन से आराजी नं. 3262 रकबा 11 बिस्वा भूमि के आदेश प्रदान नही किये गये है , जबकि प्रार्थी के द्वारा उक्त आराजी नं. की पत्थरगढी करानें हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था । अन्त में कथन किया कि आराजी नं. 3262 रकबा 11 बिस्वा भूमि के पत्थरगढी करानें हेतु संशोधित आदेश फरमावें ।

मैंने वकील वादी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 मौजा हुरडा सेजा, तहसील हुरडा की आराजी नं.– 3258, 3268, 3267, 3262 भूमि के प्रार्थी खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। प्रकरण में दिनांक 18.06.2018 को जो आदेश प्रसारित किया गया है उसमें प्रार्थी की आराजी नम्बर 3258, 3267, 3268 के आदेश प्रसारित किये गये है , किन्तु आराजी नम्बर– 3262 रकबा 11 बिस्वा भूमि के पत्थरगढी करनें के आदेश सहवन से छूट गया है , अतः न्यायालय अन्तर्गत धारा 151 – 152 जाब्ता दिवानी के तहत प्रदतः शाक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित किया जाना उचित समझता है ।

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा हुरडा सेजा तहसील हुरडा की आराजी नं.– 3258 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, 3268 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, 3267 रकबा 01 बिस्वा , 3262 रकबा 11 बिस्वा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक– हुरडा को 500/–रूपये (अक्षरे– पॉच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 09.07.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा कैम्प

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner